

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन।

क्रमांक - स्था./2026/ 55

दिनांक - 31 अगस्त, 2026

- कार्यालय आदेश -

मैं ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2026 के माह सितंबर में आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूँ-

क्रमांक	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम
1	04.09.2026 (जन्माष्टमी)	श्री दुष्यन्त गुर्जर, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट कैसेज), कुचामन सिटी।
2	06.09.2026 (रविवार)	श्री मनोज जीनगर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना।
3	12.09.2026 (द्वितीय शनिवार) 13.09.2026 (रविवार)	सुश्री पूनम योगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना।
4	14.09.2026 (गणेश चतुर्थी) (स्थानीय अवकाश)	श्री दीपेन्द्र कुमार मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं।
5	20.09.2026 (रविवार) 21.09.2026 (बाबा रामदेव जयंती)	श्री विनय कुमार सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर।
6	27.09.2026 (रविवार)	श्री धर्मेन्द्र जाखड़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां।

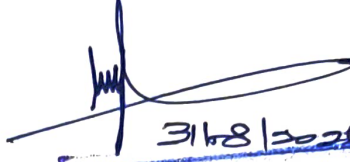
नोट :-

- डीडवाना-कुचामन न्यायक्षेत्र के जिन क्षेत्रों में दिनांक 09.09.2026 व दिनांक 11.09.2026 को नगरपरिषद/नगरपालिका के निकाय चुनाव होने हैं, उन क्षेत्रों में अवकाश घोषित होने की स्थिति में जिस न्यायक्षेत्र में अवकाश नहीं होगा उन क्षेत्रों के क्रमवर्ती लिंक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश घोषित न्यायालयों के आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जावेगा।
- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय, आकस्मिक, स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वह अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने पर ही उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा एवं अन्य अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाए जाने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डीडवाना

करें/मुख्यालय परित्याग करेंगे।

4. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
5. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
6. न्यायिक अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी आगामी माह हेतु लगाई गई है, वे आदेशानुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे एवं उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में परिवर्तन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार एवं संवाद नहीं करेंगे।

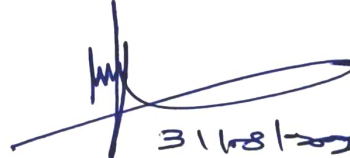

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।

क्रमांक - 426-436

दिनांक - 31 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि : - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय - डीडवाना /लाडनू/कुचामन /मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/लाडनू/कुचामन/मकराना/परबतसर /नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/मकराना।
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) कुचामन सिटी।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
7. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
8. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना-कुचामन।
9. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
10. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
11. सिस्टम असिस्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।